शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-634/तीन-2019-6(12)/18

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमेठी।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2019**

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10.10.2018 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत शौर्य चक्र से अलंकृत स्व0 जय प्रकाश शुक्ला की पत्नी श्रीमती नीलम शुक्ला को निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार मात्र) भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	स्व0 जय प्रकाश शुक्ला	शौर्य चक्र 15-08-2007	ग्राम खेमपुर सरिया, तह0 अमेठी, जिला अमेठी	वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,50,000 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिकी रू0 65,000/- अर्थात **कुल धनराशि रू0 2,15,000/-**	श्रीमती नीलम शुक्ला पत्नी स्व0 जय प्रकाश शुक्ला
			योग:	**रू0 2,15,000/-**	
				(रू0 दो लाख पन्द्रह हजार मात्र)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-634(1)/तीन-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, अमेठी।
3- श्रीमती नीलम शुक्ला पत्नी स्व0 जय प्रकाश शुक्ला, ग्राम खेमपुर सरिया, तह0 अमेठी, जिला अमेठी।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हरीराम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 005-gad3/123 **आवंटन तिथिः** 05/09/2019

कोषागारः 89- अमेठी **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183- जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01- -

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः2075- विविध सामान्य सेवायें

104 - विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार

03 - प्रादेशिक सैनिक कर्मचारियों को पारितोषिक

आयोजनेत्तर-मतदेय

(धनराधि रूपये में)

कोषागारः अमेठी

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	65000	215000	215000
योग:	**65000**	**215000**	**215000**

हरीराम

उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।